

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक - ई-18/एम/राज्य सेवा से पृथक/2019/

दिनांक


आदेश

श्री चेनाराम, कनिष्ठ सहायक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चौहटन, बाडमेर जिनकी जन्म तिथि 7 07 1987 है, की राज्य सेवा में रहते हुये दिनांक 13 11 2018 को मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप श्री चेनाराम, कनिष्ठ सहायक को दिनांक 13 11 2018 से राज्य सेवा से पृथक किया जाता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि स्व0 श्री चेनाराम, कनिष्ठ सहायक के

विरुद्ध:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया को कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।


(मुकुल शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक - ई-18/एम/राज्य सेवा से पृथक/2019/1952

दिनांक 22/04/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

- 1 निदेशक, पेशन एवं पेशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर।
- 3 चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौहटन बाडमेर।
- 4 डीपीसी, अराजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
- 5 स्व0 श्री चेनाराम, कनिष्ठ सहायक के परिवारजन को द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर को प्रेषित है।
- 6 प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
- 7 आदेश/निजी पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर